

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2023 — श्रावण 4, शक 1945

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th July 2023

NOTIFICATION

No. 9048/Rules/2023.- In exercise of the rule making power under Chapter X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following (Amendment) Rules :-

CHHATTISGARH MEDIATION (AMENDMENT) RULES, 2023

PRE-LITIGATION MEDIATION

1. Title :-

- (a) These rules shall be called the Chhattisgarh Mediation (Amendment) Rules, 2023.
- (b) They shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Mediation Rules, 2015, after Rule 26, the following Rule shall be inserted, namely :-

26 (A) Pre-Litigation Mediation : Settlement of Pre-Litigation disputes in the Mediation Centres are to be made in the following manner :-

- (i) There shall be Pre-Litigation desks/clinics at all the Mediation Centres, to make efforts for settlement of matrimonial disputes and other disputes including commercial disputes at Pre-Litigation stage.
- (ii) As per concept of Pre-Litigation mediation, disputes which arise out of legal relationship, matrimonial disputes, matters of civil disputes, money matters, contractual disputes, commercial disputes etc., prior to filing of FIR or filing of cases in any court of law may be received in the Pre-Litigation desks/clinics of the Mediation Centres.
- (iii) A party to a Pre-Litigation dispute, shall make an application in the **Form-1** specified in Schedule-I to the Coordinator of the Mediation Centre by submitting at the Pre-Litigation desk/clinic either by post or by hand mentioning his/her grievance in details.

Provided that in case of domestic violence disputes, the Protection Officer may if he/she considers appropriate refer the grievance of the aggrieved person to Pre-Litigation desk/clinic of the respective Mediation Centres with reasons in writing by annexing the grievance with **Form-1** prior to filing complaint in court of law.

- (iv) The Pre-Litigation commercial disputes shall be governed and dealt with as per the provisions of the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018.
- (v) The Pre-Litigation applications of the parties shall be entered in a Register maintained for the purpose by the Pre-Litigation desks/clinics of the Mediation Centres.
- (vi) After receipt of such application, the Coordinator of the Mediation Centre shall broadly examine the basis and prospect of the claim. If he/she feels just to proceed ahead having regard to the territorial and pecuniary jurisdiction and nature of the dispute, shall issue notice to the opposite party as per **Form-2** specified in Schedule-I either through registered/speed post or electronic means including e-mail to appear on the date mentioned and give consent to participate in the mediation process.
- (vii) Where the notice issued under sub-rule(vi) remains unacknowledged or where the opposite party refuses to participate in the mediation process, the Coordinator shall treat the mediation process to be a non-starter and make a report as per **Form-3** specified in Schedule-I and endorse the same to the applicant and the opposite party.

Provided that in case where the opposite party(s), after receiving the notice under sub-rule(vi) seeks further time for appearance by making a request in writing at least two days before the scheduled date of appearance, the Coordinator may if it thinks fit, fix an alternate day not later than 10 (ten) days from the date of receipt of such request from the opposite party.

- (viii) Where both the parties to the dispute appear before the Coordinator and give consent to participate in the mediation process, the Coordinator shall assign the Pre-Litigation dispute to a Mediator and fix a date for their appearance before the said Mediator and ensure that the mediation process

is completed within a period of three months from the date of application unless the period is extended for further one month with the consent of the applicant and the opposite party.

- (ix) Where both the parties reach at a mutually agreed settlement with regard to all or some points of dispute, the same shall be reduced in to writing by the Mediator and shall be signed by the panies or their power of attorney holder. If any counsel has represented the parties, they shall attest the signature of their respective clients. The Mediator shall sign the agreement endorsing the result of mediation and submit the same to the Coordinator. Thereafter the Coordinator shall endorse the nature of disposal of the application and the result of the mediation thereon and give true copy of the same to the parties. Such settlement agreement shall be as per **Form-4** specified in Schedule-I.
- (x) The Coordinator shall forward the settlement agreement in original to the Secretary, High Coun Legal Services Committee or the Secretary, District Legal Services Authority concerned.
- (xi) The above settlement as per **Form-4** shall be forwarded by the Secretary, High Coun Legal Services Committee or the Secretary, District Legal Services Authority to the Competent Authority of Lok Adalat.
- (xii) Where no settlement is arrived at between the parties within the time specified above or where the Mediator is of the opinion that the settlement is not possible, the Mediator shall submit a report to the Coordinator, as per **Form-5**. The applicant and the opposite party shall be informed accordingly by the Coordinator.
- (xiii) The Secretary, High Court Legal Services Committee or the Secretary, District Legal Services Authority shall inform the parties regarding the date on which their matter will be placed before Pre-Litigation Lok Adalat for recording compromise.
- (xiv) The Lok Adalat shall upon receipt of Reference from the Secretary, High Court Legal Services Committee or the Secretary, District Legal Services Authority, examine the settlement and relevant records and accordingly may accept the compromise or settlement between the parties. Such compromise or settlement accepted by the Lok Adalat shall be treated as an award under Section 21 of the Legal Services Authorities Act, 1987 or

according to the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulation, 2009 by following procedure as per law.

- (xv) Where no award is made by the Lok Adalat on the ground that compromise or settlement could not be arrived at between the parties or is not in accordance with law, to be recorded in writing, the necessary records of the matter shall be returned by it to the Secretary, High Court Legal Services Committee or the Secretary, District Legal Services Authority from which the reference has been received.
- (xvi) All proceedings before a Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and every Lok Adalat shall be deemed to be a Civil Court for the purpose of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 as per the Section 22(3) of Legal Services Authorities Act, 1987.
- (xvii) Expenses of Proceedings :-
1. The expenses of proceedings of Pre-Litigation Mediation will be borne from the funds available with the State Legal Services Authority.
 2. The Mediators shall be paid honorarium as under :-

S.No.	<i>Particulars</i>	Honorarium
1.	On settlement through Pre-Litigation Mediation	Rs. 5000/- per case
2.	In case of no settlement (in case the party fail to arrive at an amicable settlement despite three effective hearings)	Rs. 2500/-

It is subject to revision from time to time as deemed fit by the Hon'ble Chairman and Members of MCPC/Committee for Monitoring the Mediation Centres in the High Court and Subordinate Courts.

SCHEDULE-I**Form-1****Pre-Litigation Mediation Application Form****[See Rule-26 A)(iii)]**

1. Name of the Applicant(s): _____
2. Address : _____
Contact No. _____ E-mail:- _____
3. Name of the Opposite Party(s): _____
Address : _____
Contact No. _____ E-mail : _____
4. Nature of Dispute : _____

5. Enclosure : Self attested copy of Aadhaar Card of the Applicant.

Undertaking

I, the above mentioned applicant, do hereby solemnly affirm and declares as under :

1. That, the case/dispute mentioned above, has arisen out of legal relationship.
2. That I desire to get my dispute resolved through Mediation and would abide by the terms of settlement to be reached between the parties.
3. That I also undertake to abide by the terms and conditions of Pre-Litigation Mediation.
4. That I have neither initiated any civil or criminal proceedings in the present matter, nor I am aware of any proceedings pending in any court of law in respect of the matter in which I desire to get my dispute resolved through Pre-Litigation Mediation.

Dated :

Signature of the Applicant

FOR OFFICE USE ONLY

- (i) Application received on:- _____
- (ii) Pre-Litigation Registration Number :- _____

Form-2Notice to the Opposite Party(s) for Pre-Litigation Mediation[See Rule-26 (A)(vi)]

To,

1. Whereas a Pre-Litigation dispute has been submitted to (Name of the Mediation Centre) _____ by (Name of the applicant) _____ against (Name of Opposite Party) _____ requesting for Pre-Litigation mediation in terms of Rule 26(A) of the Chhattisgarh Mediation (Amendment) Rules, 2023. A copy of the mediation application form is attached herewith.
2. You being the Opposite party(s) is hereby directed to appear in person or through your duly authorized representative or Counsel on _____ (date) _____ (time) at the (Mediation Centre Address) and convey your consent to participate in the Pre-Litigation Mediation process.
3. Your failure to appear before the Mediation Centre on the scheduled date and time would be deemed as your refusal to participate in the Pre-Litigation Mediation process initiated by the applicant.
4. In case, you require to reschedule the date and time of appearance, the same can be done either by you or through your authorized representative or counsel by making a request in writing at least two days prior to the scheduled date of appearance.

Date :

Signature of the Coordinator

Form-3

Non-Starter Repon

[See Rule-26 (A)(vii)]

Name and Address of the Mediation Centre : _____

1. Name of the Applicant(s) : _____

2. Date of application for Pre-Litigation Mediation : _____

3. Name of the Opposite Party(s) : _____

4. Date scheduled for appearance of Opposite Party(s) : _____

5. Non-Starter Report reason : _____

Date :

Signature of the Coordinator

Form-4**Settlement Agreement****[See Rule-26 (A)(ix)]**

Name and Address of the Mediation Centre : _____

1. Name of the Mediator : _____
2. Name of the Applicant(s) : _____
3. Name of the Opposite Party(s) : _____
4. Date of application for Pre-Litigation Mediation : _____
5. Date(s) of Mediation : _____
6. No. of sittings and duration of sittings : _____
7. Terms of settlement (attach separate sheets if required) : _____

Date :

Signature of Applicant(s)

Signature of Opposite Party(s)

Signature of Mediator

Endorsement of Coordinator : _____

Signature of Coordinator

Form-5

Failure/Unsuccessful Re of
[See Rule-26 (A)(xii)]

Name and Address of the Mediation Centre : _____

1. Name of the Mediator : _____
2. Name of the Applicant(s) : _____
3. Name of the Opposite Party(s) : _____
4. Date of application for Pre-Litigation Mediation : _____
5. Date(s) of Mediation : _____
6. No. of sittings and duration of sittings : _____
7. Terms of reasons for failure (attach separate sheets if required) : _____

Date :

Signature of Applicant(s)

Signature of Opposite Party(s)

Signature of Mediator

Endorsement of Coordinator : _____

Signature of Coordinator

BY order of Hon'ble the High Court

Sd/—

(Arvind Kumar Verma)
Registrar General

छत्तीसगढ़ मध्यस्थता (संशोधन) नियम, 2023
मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता

इन नियमों को छत्तीसगढ़ मध्यस्थता (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा
वे आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे

छत्तीसगढ़ मध्यस्थता नियम, 2015 में नियम 26 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा
26 (ए) प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता- मध्यस्थता केंद्रों में प्री-लिटिगेशन विवादों का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया जाना है-

- 1- सभी मध्यस्थता केंद्रों पर प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता डेस्क/क्लिनिक होंगे, ताकि प्री-लिटिगेशन चरण में वैवाहिक विवादों और वाणिज्यिक विवादों सहित अन्य विवादों के निपटारे के प्रयास किए जा सकें।
- 2- प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता की अवधारणा के अनुसार, कानूनी संबंध, वैवाहिक विवाद, नागरिक विवाद के मामले, धन के मामले, संविदात्मक विवाद, वाणिज्यिक विवाद आदि से उत्पन्न होने वाले विवाद, एफआईआर भरने से पहले या किसी भी अदालत में मामला भरने से पहले। कानून मध्यस्थता केंद्रों के प्री-लिटिगेशन डेस्क/क्लिनिक में प्राप्त किया जा सकता है,
- 3- प्री-लिटिगेशन विवाद का एक पक्ष, अनुसूची-1 में निर्दिष्ट फॉर्म 1 में मध्यस्थता केंद्र के समन्वयक को प्री-लिटिगेशन डेस्क/क्लिनिक में या तो डाक से या हाथ से अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा। विस्तार में, बशर्ते कि घरेलू हिंसा विवादों के मामले में, यदि संरक्षण अधिकारी उचित समझता है तो वह पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को संबंधित मध्यस्थता केंद्रों के प्री-लिटिगेशन डिसक्लीनिक को लिखित कारणों के साथ फॉर्म-1 के साथ संलग्न करके भेज सकता है। कानून की अदालत में शिकायत दर्ज करना।
- (iv) प्री-लिटिगेशन वाणिज्यिक विवादों को वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित और निपटाया जाएगा।
- (v) पार्टियों के प्री-लिटिगेशन आवेदनों को मध्यस्थता केंद्रों के प्री-लिटिगेशन डेस्क/क्लिनिक द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- (vi) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बाद, मध्यस्थता केंद्र के समन्वयक मोटे तौर पर दावे के आधार और संभावना की जांच करेंगे। यदि वह क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार और विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहता है, तो वह अनुसूची-1 में निर्दिष्ट फॉर्म-2 के अनुसार पंजीकृत/स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करेगा। उल्लिखित तिथि पर उपस्थित होने और मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमति देने के लिए ई-मेल करें।
- (vii) जहां उप-नियम (vi) के तहत जारी किया गया नोटिस अस्वीकार्य रहता है या जहां विपरीत पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करता है, समन्वयक मध्यस्थता प्रक्रिया को गैर-स्टार्टर मानेगा और फॉर्म के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगा- 3 अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है और आवेदक और विपरीत पक्ष को इसका समर्थन करता है। बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां विपक्षी पक्ष, उप-नाइल (vi) के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद उपस्थिति की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले लिखित रूप में अनुरोध करके उपस्थिति के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, समन्वयक यदि ऐसा कर सकता है उचित समझे, विपरीत पक्ष से ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर एक वैकल्पिक दिन तय करें।

(वीएल11)

जहां विवाद के दोनों पक्ष समन्वयक के समक्ष उपस्थित होते हैं और मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमति देते हैं, समन्वयक मुकदमे-पूर्व विवाद को एक मध्यस्थ को सौंपेगा और उक्त मध्यस्थ के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता हो प्रक्रिया

आवेदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाता है जब तक कि आवेदक और विपरीत पक्ष की सहमति से अवधि को एक महीने के लिए और नहीं बढ़ाया जाता है।

(ix) जहां दोनों पक्ष विवाद के सभी या कुछ बिंदुओं के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत समझौते पर पहुंचते हैं, उसे मध्यस्थ द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और पैनिस् या उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि किसी वकील ने पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया है, तो वे अपने संबंधित ग्राहकों के हस्ताक्षर सत्यापित करेंगे। मध्यस्थ मध्यस्थता के परिणाम का समर्थन करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और इसे समन्वयक को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद समन्वयक आवेदन के निपटान की प्रकृति और उस पर मध्यस्थता के परिणाम का समर्थन करेगा और पार्टियों को उसकी सच्ची प्रति देगा। ऐसा निपटान समझौता अनुसूची-1 में निर्दिष्ट फॉर्म-4 के अनुसार होगा।

(x) समन्वयक निपटान समझौते की मूल प्रति सचिव, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या सचिव, संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

(xi) फॉर्म-4 के अनुसार उपरोक्त समझौता सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(xii) जहां ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं होता है या जहां मध्यस्थ की राय है कि समझौता संभव नहीं है, मध्यस्थ फॉर्म-5 के अनुसार समन्वयक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। समन्वयक द्वारा तदनुसार आवेदक एवं विरोधी पक्ष को सूचित किया जायेगा।

(xiii) सचिव, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पार्टियों को उस तारीख के बारे में सूचित करेंगे जिस दिन उनका मामला समझौता दर्ज करने के लिए प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

(xiv) लोक अदालत सचिव, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने पर, निपटान और प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करेगी और तदनुसार पार्टियों के बीच समझौता या समझौता स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे समझौते या समझौते को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के तहत एक पुरस्कार के रूप में माना जाएगा।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियमन, 2009 के अनुसार कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके।

(xv) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पार्टियों के बीच समझौता या समझौता नहीं हो सका है या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कानून के अनुसार नहीं है, तो मामले के आवश्यक रिकॉर्ड वापस कर दिए जाएंगे। इसके द्वारा सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, जहाँ से संदर्भ प्राप्त हुआ है।

(xvi) लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी और प्रत्येक लोक अदालत को धारा 195 के प्रयोजन के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(3) के अनुसार अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXVII

(xvii) कार्यवाही का व्यय:-

1. प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता की कार्यवाही का खर्च राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास उपलब्ध धनराशि से वहन किया जाएगा।

2. मध्यस्थों को निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा:-

क्र.सं. विवरण:मानदेय

1. मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से निपटान पर रु. 5000/- प्रति केस

2. कोई समझौता न होने की स्थिति में (यदि पक्ष तीन प्रभावी सुनवाई के बावजूद सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में विफल रहता है)

रु. 2500/-

यह उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्रों की निगरानी के लिए एमसीपीसी/समिति के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उचित समझे जाने पर समय-समय पर संशोधन के अधीन है।

अनुसूची-मैं

फॉर्म I

मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता आवेदन प्रपत्र [नियम-26 ए देखें](iii)]

734 (3)

1. आवेदक का नाम:

2. पता: संपर्क नंबर ई-मेल:-

3. विपक्षी पार्टी का नाम:

पता : संपर्क नंबर ई-मिल:

4. विवाद की प्रकृति:

5. संलग्नक: आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

उपक्रम

मैं, उपर्युक्त आवेदक, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार घोषणा करता हूं:

1. यह कि, ऊपर उल्लिखित मामला/विवाद कानूनी संबंध से उत्पन्न हुआ है।

2. मैं अपने विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करना चाहता हूं और पार्टियों के बीच होने वाले समझौते की शर्तों का पालन करूंगा।

3. यह कि मैं मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के नियमों और शर्तों का पालन करने का भी वचन देता हूं।

4. यह कि मैंने वर्तमान मामले में न तो कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू की है, न ही मुझे उस मामले के संबंध में किसी भी अदालत में लंबित किसी भी कार्यवाही के बारे में पता है, जिसमें मैं प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करना चाहता हूं।

दिनांकित :

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय के उपयोग के लिए ही

(i) आवेदन प्राप्त हुआ:-

(ii) प्री-लिटिगेशन पंजीकरण संख्या:-

फार्म -2

मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के लिए विरोधी पक्ष को नोटिस [नियम-26 (ए)(vi)] देखें

को,

जबकि एक प्री-लिटिगेशन विवाद (मध्यस्थता केंद्र का नाम) को प्रस्तुत किया गया है
द्वारा (आवेदक का नाम)

छत्तीसगढ़ मध्यस्थता (संशोधन) नियम, 2023 के नियम 26 (ए) के संदर्भ में प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के लिए अनुरोध करने वाले (विपक्षी पक्ष का नाम) के खिलाफ। मध्यस्थता आवेदन पत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

2. विपक्षी पक्ष होने के नाते आपको व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से (तिथि) को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(समय) (मध्यस्थता केंद्र का पता) पर जाएं और मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दें।

3. निर्धारित तिथि और समय पर मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने में आपकी विफलता को आवेदक द्वारा शुरू की गई मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपकी असफलता माना जाएगा।

4. यदि आपको उपस्थिति की तारीख और समय को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, तो यह आपके द्वारा या आपके अधिकृत प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से उपस्थिति की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले लिखित रूप में अनुरोध करके किया जा सकता है।

दिनांक: समन्वयक के हस्ताक्षर

प्रपत्र -3

नॉन-स्टार्टर रिपोन

[नियम-26(ए)(vii) देखें]

मध्यस्थता केंद्र का नाम और पता:

1. आवेदक का नाम:

2. मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के लिए आवेदन की तिथि:
3. विपक्षी पार्टी का नाम:
4. विपक्षी पार्टी(यों) की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि:
5. नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट कारण:

दिनांक: समन्वयक के हस्ताक्षर

Form-4 निपटान समझौता [नियम-26(ए)(ix) देखें]

मध्यस्थता केंद्र का नाम और पता:

1. मध्यस्थ का नाम:
2. आवेदक का नाम:
3. विपक्षी पार्टी का नाम:
4. मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के लिए आवेदन की तिथि:
5. मध्यस्थता की तारीखें:
6. बैठकों की संख्या और बैठकों की अवधि:
7. निपटान की शर्तें (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें) :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर विपक्षी पार्टी के हस्ताक्षर

मध्यस्थ के हस्ताक्षर समन्वयक का समर्थन:

समन्वयक के हस्ताक्षर

फार्म-5

विफलता ई/असफल पुनः [नियम-26 (ए)(xii)]¹ देखें
मध्यस्थता केंद्र का नाम और पता:

1. मध्यस्थ का नाम:
2. आवेदक का नाम:
3. विपक्षी पार्टी का नाम:
4. मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता के लिए आवेदन की तिथि:
5. मध्यस्थता की तारीखें:
6. बैठकों की संख्या और बैठकों की अवधि:
7. विफलता के कारणों की शर्तें (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें) :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर विपक्षी पार्टी के हस्ताक्षर

मध्यस्थ के हस्ताक्षर
समन्वयक का समर्थन:

समन्वयक के हस्ताक्षर

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से Sd/-
(अरविंद कुमार वर्मा) रजिस्ट्रार जनरल